

रजिस्ट्री सं० डी०
एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. -33004/99

PARAMOU

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सं. 710] No.
710]

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) PART II-Section

3-Sub-section (i)

Yousa

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2010 / पौष 8,
1932

200114

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2010 / PAUSA 8, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1024 (अ). - व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का प्रारूप व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 731 (अ), तारीख 7 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिससे ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना जनता को 13 सितम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । ।

2. व्यापार चिन्ह नियम, 2002 (जिसमें इसे इसके पश्चात्

उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उप-नियम (2) में, -

(क) खंड (ख) में "व्या. चि.- 54" अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में "व्या. चि.- 71 में त्वरित खोज रिपोर्ट या प्ररूप" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा । 3. उक्त नियमों के नियम 24 में उप-नियम (1) और उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 32 का लोप किया जाएगा । 5.

उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में, - (क) स्तंभ (3)

के अधीन प्रविष्टि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7 और 10 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के लिए,
प्रविष्टि " 3500.00" क्रमशः अंतःस्थापित की जाएगी।

(ख) प्रविष्टि संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का
लोप किया जाएगा।

(ग) प्रविष्टि संख्या 60 में स्तंभ (2) के अधीन मद (ख)

और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। (घ) प्रविष्टि संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का
लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप व्या. चि.-
11, व्या. चि.- 54, व्या. चि.- 71 और व्या. चि.- 75 का लोप
किया जाएगा। [फा. सं. 8/61/2009 - आईपीआर-4]

वी. भास्कर, संयुक्त सचिव टिप्पण. - मूल नियम भारत के
राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में
अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 114(अ), तारीख 26 फरवरी,
2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का. नि.
428 (अ), तारीख 20 मई, 2010 द्वारा संशोधन किए गए।

4926 GI/2010

(1)

2

THE GAZETTE (OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2010

G.S.R. 1024(E). Whereas certain draft rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002 were published, as required under sub-section (1) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 731(E), dated the 7th September, 2010 in the Gazette of India, Extraordinary, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing notification were made available to the public;

And **whereas** the said notification were made available to the public on the 13th September, 2010;

And **whereas** the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Trade Marks (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) of rule 8,—

CODES

in clause (b), the letters and figure "TM-54" shall be omitted;

(a)

(b)

in clause (c), the words, letters and figure "or for expedited search report in form TM-71" shall be omitted.

3. In rule 24 of the said rules, sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be omitted.

4. Rule 32 of the said rules shall be omitted.

5. In the First Schedule to the said rules,—

(a)

under column (3) relating to entry numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10, for the existing entry, the entry "3500.00" shall respectively be substituted;

(b) entry number 49 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c)

in entry number 60, item (b) under column (2) and the entries relating thereto shall be omitted; (d) entry number 75 and the entries relating thereto

shall be omitted.

6. In the Second Schedule to the said rules, Forms TM-11, TM-54, TM-71 and TM-75 shall be omitted,

[F. No. 8/61/2009-IPR-IV]

V. BHASKAR, Jt. Secy.

Foot Note. The principal rules were published in the **Gazette of India**, Extraordinary, Part II, **Section 3, Sub-section (i)** *vide* notification **number** G.S.R. 114(E), dated, the **26th February**, 2002 and subsequently were **amended** *vide* notification number G.S.R. 428(E), **dated the** 20th May, 2010. **G.S.R.**